

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्ताला चौधरी आरएसएस

प्रकरण सं० : 175/2020

अनवान :

1. चन्द्रोदेवी पुत्री शिशराम जाति गुंसाई निवासी सागडा त० भादरा।
2. सुनिता पुत्री शिशराम जाति गुंसाई निवासी सागडा त० भादरा।

:- वादीगण

व न म

1. शिशराम पुत्र श्री मोमनराम जाति गुंसाई निवासी सागडा त० भादरा।
2. बलवान पुत्र शिशराम जाति गुंसाई निवासी सागडा त० भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्ताला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएल के खाता सं० 49/105 के मुख्या नं० 65 के किला नं० 24, मुख्या नं० 68 के किला नं० 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 की 1.6820 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/24 हिस्सा व चक 8 जेएसएल के खाता सं० 194/190 के मुख्या नं० 134 के किला नं० 6 ता 18 की 3.2890 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/24 हिस्सा व चक 9 जेएसएल के खाता सं० 42/228 के मुख्या नं० 151 के किला नं० 11, 19 ता 22 की कुल 1.1900 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/24 हिस्सा, खाता सं० 307/306 के मुख्या नं० 38 के किला नं० 11 ता 14, 16 /1, 16/2, 17 ता 20 व 21/1, 22/1, 23/1, 23/2, 24, 25 व मुख्या नं० 39 के किला नं० 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 23 व मुख्या नं० 52 के किला नं० 1 ता 4, 7 ता 14, मुख्या नं० 53 के किला नं० 4 ता 6, 15 कुल रक्बा 8.7410 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/24 हिस्सा तथा चक 10 जेएसएल के खाता सं० 183/162 के मुख्या नं० 154 के किला नं० 1 से 4, 7 से 14, 17 से 24, मुख्या नं० 162 के किला नं० 1 ता 4, 7 का कुल रक्बा 6.3250 है० भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 शिशराम के 1/24 हिस्सा के वजाय वादिया सं० 1 चन्द्रोदेवी व वादिया सं० 2 सुनिता, प्रतिवादी सं० 1 शिशराम व प्रतिवादी संख्या 2 बलवान को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक ...11.05.22... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (शकुन्ताला चौधरी)  
 (फास्ट ट्रैक) भादरा  
 R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़



Handwritten notes on the left margin:  
 21/03/22  
 22/03/22  
 10/03/22  
 6, 11/03/22  
 20/03/22

Handwritten signature and date:  
  
 03.03.22